3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना
जमाबंदी रद्द वाद सं०–84/2018–19
नीलु बसंत बनाम शांति देवी

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
11/12/18	यह वाद नीलु बसंत, पिता–श्री अशोक कुमार, रानीपुर, पटनासिटी, के आवदेन जो कि अंचलाधिकारी, पटना सदर को दिनांक 16.07.2018 को दिया गया था के आधार पर अंचलाधिकारी, पटना सदर के न्यायालय में जमाबंदी रदद वाद सं0–2/5 2018–19 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारंभ किया गया है। आवेदक नीलु बंसत ने अपने आवेदन में उल्लेखित किया था कि मौजा–रानीपुर, थाना नं0–19 खेसरा सं0–4318 में गलत तरीके से श्रीमती शांति देवी, पति–राजेन्द्र प्रसाद के नाम से जमाबंदी सं0–9173 कायम कर दिया गया है। साथ ही उक्त जमाबंदी को रदद करने का भी अनुरोध उक्त आवेदन में किया गया है। अंचलाधिकारी, पटना सदर ने उक्त आवेदन के आधार पर राजस्व कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन की मांग किया। अंचलाधिकारी ने अपने आदेश में अंकित किया है कि राजस्व कर्मचारी ने जांच प्रतिवेदन में अंकित किया है कि श्रीमती पम्पी कुमारी, पिता–स्व0 परमानंद सिंह, सा0–रानीपुर चौक ने वसिका सं0–4847 दिनांक 07.12.2000 के आधार पर श्रीमती उषा रानी सिंह, पति–सत्यनारायण सिंह, सा0–सेवदह हरनौत, जिला नालंदा से पावर ऑफ एटॉनी सं0–415 दिनांक 25.10.2000 से प्राप्त भूमि को श्रीमती शांति देवी, पति–राजेन्द्र प्रसाद, सा0–बेलदार विगहा राजगीर के नाम से ब्रिकी किया। तत्पश्चात दाखिल खारिज वाद सं0–2718 वर्ष 2014–15 से जमाबंदी सं0–9173 कायम है जिसका रसीद सं0–00402736 दिनांक 25.03.15 निर्गत है। अंचलाधिकारी ने अपने आदेश में यह भी अंकित किया है कि भूमि रैयती है, लेकिन पंजी–2 में खेसरा सं0–4318 के स्थान पर खेसरा सं0–4818 अंकित है। इस प्रकार जमाबंदी संदेहासपद है, तथा जमाबंदी को रदद करने की अनुशंसा किया है।	

प्रतिवादी शांति देवी की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि–

1. प्रतिवादी द्वारा वास्तविक रैयत से जमीन क्रय किया गया है और विधिवत जमाबंदी दर्ज करने की कार्रवाई दाखिल खारिज वाद सं0–2718 /2014–15 द्वारा की गयी है।
2. आवेदक नीलु बसंत द्वारा एवं अंचलाधिकारी द्वारा प्रश्नगत प्लॉट सं0–4318 में कुल कितनी भूमि है और कितनी जमाबंदियॉ है यह स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही आवेदक विपक्षी के नाम से जमाबंदी होने से किस प्रकार प्रभावित है, यह भी उल्लेखित नहीं किया है।
3. प्रश्नगत मामले में आवेदिका नीलु बसंत को भूमि सुधार उप समाहर्ता के समक्ष अपील करना चाहिए न की जमाबंदी रद्द करने हेतु आवेदन देना चाहिए।

उक्त के आधार पर प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता ने जमाबंदी के रदद करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया।

आवेदिका नीलु बसंत का आवेदन, राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन, अंचलाधिकारी के जमाबंदी रदद करने का प्रस्ताव एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के अवलोकन से निम्न तथ्य स्पष्ट होते है–

1. यह भूमि पावर ऑफ एटॉनी सं0–415 दिनांक 25.10.2000 के आधार पर वसिका सं0–4847 दिनांक 07.12.2000 के आधार पर श्रीमती शांति देवी, पति–राजेन्द्र प्रसाद, बेलदार विगहा, राजगीर को ब्रिक्री किया गया है।
2. मौजा रानीपुर, थाना नं0–19 खेसरा सं0–4318 का जमाबंदी दाखिल खारिज वाद सं0–2718 वर्ष 2014–15 के द्वारा उक्त वसिका सं0–4847 दिनांक 07.12.2000 के आधार पर दर्ज किया गया है।
3. दाखिल खारिज वाद सं0–2718 वर्ष 2014–15 द्वारा जमाबंदी स0–9173 कायम होने पर उसमे खेसरा सं0–4818 दर्ज है,

लेकिन उक्त जमाबंदी का लगान रसीद सं0—00402736 दिनांक 25.03.15 पर खेसरा सं0—4318 अंकित है, जो आपत्तिजनक है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भूमि की ब्रिक्री खेसरा सं0—4318 के लिए की गयी है, जमाबंदी में खेसरा सं0—4818 अंकित है और लागन रसीद 4318 के लिए निर्गत है, जो जमाबंदी के सेहास्पद होने और राजस्व कर्मचारी के स्तर से अनियमितता किये जाने का प्रमाण है।

उक्त के आलोक में :—

1. जमाबंदी सं0—9173 को रदद करने प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है।
2. अंचलाधिकारी, पटना सदर को आदेश दिया जाता है कि पावर ऑफ एटॉनी सं0—415 दिनांक 25.10.2000, वसिका सं0—4837 दिनांक 07.12.2000 के मूल कागजातों की जांच विधिवत करने के पश्चात एवं स्थलीय जांच एवं नापी पश्चात प्रश्नगत मामलें में पुनः दाखिल खारिज हेतु कार्रवाई करेगे।
3. दाखिल खारिज की कार्रवाई के दौरान मौजा—रानीपुर, थाना नं0—19, खाता सं0—226 खेसरा सं0—4318 के सभी पूर्व के जमाबंदी रयतों एवं सभी चौहदीदारों को विधिवत नोटिस कर उनका पक्ष एवं उनके द्वारा दिये गये कागजातों के जांच पश्चात विधिवत दाखिल खारिज करने की कार्रवाई करेगे, इस हेतु यह मामला अंचलाधिकारी, पटना सदर को रिमांड किया जाता है।
4. अंचलाधिकारी, पटना सदर को आदेश दिया जाता है कि उक्त राजस्व कर्मचारी जिसके द्वारा लगान रसीद सं0—00402736 दिनांक 25.03.15 निर्गत किया गया है की पहचान कर उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

7/11/18

अपर समाहर्ता,
पटना।

7/11/18

अपर समाहर्ता,
पटना।